उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1682/VII-1/2017/68ख/15
देहरादून:दिनांक: 17 नवम्बर, 2017

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1457/VII-1/2017/68–ख/15, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में संशोधन किये गये हैं, की छायाप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/XVII/XXI/2017–सी०एक्स० दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
17.11.17
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1457 / VII-1 / 2017 / 68–ख / 15
देहरादून : दिनांक: 17 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय संख्या–844 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1589 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1755 / VII-1 / 16 / 68–ख / 15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किये गये हैं, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बिन्दु–6 (तीन) (क) का संशोधन :–

उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु–6(तीन)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् ;

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
बिन्दु–6 (तीन) (क) (1) निजी नाप भूमि में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर संबंधित भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति / अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। (2) आशय पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल के सापेक्ष भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित शत प्रतिशत सहमति / अनापत्ति, जो राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। परन्तुक जिस आवेदित भूमि पर भूस्वामियों की अनापत्ति प्राप्त नही है, ऐसी भूमि को पृथक किया जाना होगा, इस प्रकार से संस्तुत की जाने वाली भूमि न्यूनतम 2.00 है0 से कम नही होनी चाहिये।	बिन्दु–6 (तीन)(क) (1) निजी नाप भूमि में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर संबंधित भू–स्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति / अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। (2) आशय पत्र की समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के पश्चात् निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति / अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या–844/VII-1/2015/68–ख/2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1589/VII-1/2015/68–ख/2015, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1755/VII-1/16/ 68–ख/15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा किये गये संशोधनों के पश्चात् उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नीति के शेष बिन्दु/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव